भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

24 JUN 2013

प्रदेश UTTAR PRADESH AK 605411

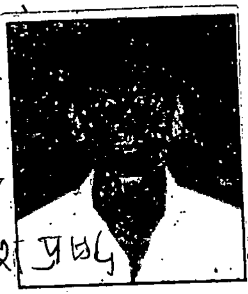

॥ॐ॥

श्री गणेशाय नमः

विक्रयपत्र

कार्यालय का नाम :–	उप निबन्धक जोन नम्बर 2 कानपुर नगर
1. प्रस्तुत दिनांकः–	28.06.2012
2. निष्पादन तिथिः–	28.06.2012
3. प्रस्तुतकर्ता / विक्रेतागण निष्पादनकर्ता का नामः–	श्री गनेश प्रसाद पुत्र स्व. श्री मन्नीलाल निवासी ग्राम दुर्गापुरवा मौजा ख्योरा कटरी, कानपुर नगर एवं श्री सुन्दर बालिग पुत्र स्व. श्री छेदालाल निवासी ग्राम धनऊपुरवा मौजा बैरी अकबरपुर कछार, कानपुर नगर।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

कोषागार कानपुर नगर

24 JUN 2013

AK 605412

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4. लेखपत्र का प्रकार:—	विक्रयपत्र
5. प्रतिफल:—	मुबलिग 3,00,000/—रुपया
6. बाजारी मूल्य:—	मुबलिग 4,04,000/—रुपया
7. क्रेती :—	श्रीमती अनुराधा मेहरोत्रा बालिग पत्नी श्री सुधीर कुमार मेहरोत्रा, एडवोकेट निवासी मकान नम्बर 15/265 बी, सिविल लाइन्स, कानपुर नगर का पैन नम्बर AITPM2005Q
8. सम्पत्ति का विवरण:—	आराजी खसरा नम्बर 223 क्षेत्रफल 0.090 हेक्टेयर में से 2/7 अपना कुल हिस्सा क्षेत्रफल 0.0258 हेक्टेयर स्थित ग्राम सम्भरपुर तहसील व जिला कानपुर नगर।
स्थान:	ग्राम सम्भरपुर तहसील व जिला कानपुर नगर।
विक्रेतागण अनुसूचित जाति के:—	नही है,

गोपाल प्रसाद

नि अंगूठा सुन्दर

अनुराधा मेहरोत्रा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हज़ार रुपये

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

24 JUN 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AK 605413

विक्रीत कृषि भूमि का क्षेत्रफल:—	0.0258 हेक्टेयर स्थित ग्राम सम्भरपुर तहसील व जिला कानपुर नगर
सीमा में सड़क की चौड़ाई:—	चारों तरफ खेतो के बीच में,
औद्योगिक / कृषि भूमि:—	(कृषि भूमि)
सीमाओ का विवरण :—	आराजी खसरा नम्बर—223 क्षेत्रफल 0.090 हेक्टेयर स्थित ग्राम सम्भरपुर तहसील व जिला कानपुर नगर की चतुर्दिक विवरण निम्न प्रकार है पूरब:— कृषि भूमि खसरा नम्बर 222 मालिक क्रेती पश्चिम:—कृषि भूमि खसरा नम्बर 224 मालिक क्रेती उत्तर:— कृषि भूमि खसरा नम्बर 221 मालिक क्रेती दक्षिण :— कृषि भूमि ग्राम बैरी अकबरपुर
स्टाम्प अदायगी का विवरण	
जिलाधिकारी के अनुसार भूमि का कृषि भूमि दर:—	मुबलिग 1,25,00,000 / — प्रति हेक्टेयर
कृषि भूमि का मूल्य:—	मुबलिग 3,22,500 / —रुपये मात्र

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

कोषागार कानपुर नगर

24 JUN 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AK 605427

25 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्यः— मुबलिग 80,625/—रुपये मात्र

कुल कृषि भूमि का मूल्यः— मुबलिग 4,04,000/— रुपया मात्र

जिलाधिकारी दर से देय मुबलिग 24,500/—रुपये मात्र

कुल दिया गया स्टाम्पः— मुबलिग 24,500/— रुपये मात्र

हमकि श्री गनेश प्रसाद पुत्र स्व. श्री मन्नीलाल निवासी ग्राम दुर्गापुरवा मौजा ख्योरा कटरी, कानपुर नगर एवं श्री सुन्दर बालिग पुत्र स्व. श्री छेदालाल निवासी ग्राम धनऊपुरवा मौजा बैरी अकबरपुर कछार, कानपुर नगर के है।

विदित हो कि विक्रेतागण आराजी खसरा नम्बर 223 क्षेत्रफल 0.090 हेक्टेयर में से 2/7 कुल भाग क्षेत्रफल 0.0258 हेक्टेयर स्थित ग्राम सम्भरपुर तहसील व जिला कानपुर नगर के संयुक्तरुप से मालिकगण काबिज व स्वामीगण है।

यह भी विदित हो कि आराजी खसरा नम्बर 223 क्षेत्रफल 0.090 हेक्टेयर स्थित ग्राम सम्भरपुर कानपुर नगर के पूर्व मालिक व स्वामीगण श्री छेदालाल बालिग पुत्र स्व. श्री राम आसरे निवासी ग्राम बैरी अकबरपुर बांगर, कानपुर नगर थे, दुर्भाग्यवश श्री छेदालाल का स्वर्गवास दिनांक 10/07/2001 को हो गया, उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त सम्पत्ति के मालिक व स्वामीगण उनके वारिसान श्री रामऔतार व श्री सोनेलाल व

गनेश प्रसाद

निशानी सुन्दर

अनुराधा ...

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

14 JUN 2011

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 995365

श्री कैलाश व श्री रुपन व श्री ऊदन व श्री सुन्दर एवं श्री रामचन्द्र हो गये, श्री ऊदन पुत्र स्व. छेदालाल ने अपना कुल 1/7 हिस्सा स्थित ग्राम सम्भरपुर कानपुर नगर को श्री गनेश प्रसाद पुत्र स्व. श्री मन्नीलाल निवासी ग्राम दुर्गापुरवा मौजा ख्योरा कटरी, कानपुर नगर को दिनांक 07/04/2011 को विक्रय दिया जिसकी रजिस्ट्री बही नम्बर 1 जिल्द नम्बर 4828 के पेज नम्बर 51 से 74 में नंम्बर 1588 पर दिनांक 07/04/2011 को हुई, इस प्रकार उक्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 223 क्षेत्रफल 0.090 हेक्टेयर स्थित ग्राम सम्भरपुर कानपुर नगर में श्री गनेश प्रसाद उक्त आराजी भूमि में 1/7 भाग के मालिक व स्वामी हो गये। इस प्रकार विक्रेतागण उक्त सम्पत्ति के सहमालिकगण काबिज व दखील है। विक्रेतागण को अपने कुल भाग को विक्रय करने का अधिकार है, विक्रेतागण की सम्पत्ति उपरोक्त आज दिन तक हर प्रकार से पाक व साफ है विक्रेतागण को अपनी उक्त सम्पत्ति के हस्तान्तरण के पूर्ण अधिकार हासिल है तथा विक्रेतागण उक्त सम्पत्ति को हस्तान्तरित करने हेतु वैधानिक रूप से पूर्णतया सक्षम है।

यह भी विदित हो कि विक्रेतागण को इस समय अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपयों की सख्त आवश्यकता है तथा बिना उपरोक्त कृषि

गनेश प्रसाद

अनुराधा मेहरोत्रा

निरुपमा

सुन्दर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

14 JUN 2013

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 995366

भूमि में अपने कुल हिस्से को विक्रय किये विक्रेतागण की आवश्यकता पूरी होना सम्भव नही है। इसलिए विक्रेतागण ने अपने हितैषियो से राय ली व अपने हितों पर विचार किया तथा उपरोक्त सम्पत्ति यानि आराजी खसरा नम्बर 223 क्षेत्रफल 0.090 हेक्टेयर में से 2/7 भाग क्षेत्रफल 0.0258 हेक्टेयर स्थित ग्राम सम्भरपुर तहसील व जिला कानपुर नगर जिसकी विस्तृत विवरण व चतुर्दिक सीमाये इस लेखपत्र में वर्णित है जिसे संलग्न नक्शे में प्रदर्शित किया गया है, को विक्रय करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेना बेहतर समझा तथा उपरोक्त सम्पत्ति को विक्रय करने के लिए बातचीत चलाई, तो विक्रेतागण की बात श्रीमती अनुराधा मेहरोत्रा बालिग पत्नी श्री सुधीर कुमार मेहरोत्रा, एडवोकेट निवासी मकान नम्बर 15/265 बी, सिविल लाइन्स, कानपुर नगर से हुयी, जो कि विक्रेतागण द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति को पूर्णतया पाक व साफ होने तथा एकमात्र अपनी ही मिल्कियत होने का यकीन व इत्मिनान दिलाने पर उपरोक्त सम्पत्ति को बहालत मौजूदा मुबलिग 3,00,000/—रुपये तीन लाख रुपयों में क्रय करने को तैयार व रजामंद है, जो कीमत क्रेती उपरोक्त ने लगाई है, वह बाजार भाव के अनुरूप है तथा निहायत उचित व मुनासिब है तथा यह कीमत विक्रेतागण को भी सहर्ष स्वीकार है तथा

अनुराधा मेहरोत्रा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

14 JUN 20..

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AE 995509

इससे अधिक कीमत अन्य कोई व्यक्ति देने को तैयार नही है। अतः विक्रेतागण ने इसी कीमत पर सम्पत्ति उपरोक्त को विक्रय करना स्वीकार कर लिया है।

अतः विक्रेतागण ने अपने हितैषियों से राय ली व अपने हितों पर विचार करके उक्त सम्पत्ति आराजी खसरा नम्बर 223 क्षेत्रफल 0.090 हेक्टेयर में से अपना कुल हिस्सा 2/7 भाग क्षेत्रफल 0.0258 हेक्टेयर स्थित ग्राम सम्भरपुर तहसील व जिला कानपुर नगर जिसकी विस्तृत विवरण व चतुर्दिक सीमाये इस लेखपत्र में वर्णित है को क्रेती उपरोक्त, श्रीमती अनुराधा मेहरोत्रा बालिग पत्नी श्री सुधीर कुमार मेहरोत्रा एडवोकेट निवासी मकान नम्बर 15/265 बी, सिविल लाइन्स कानपुर नगर के पक्ष मे मुबलिग 3,00,000/-रुपया तीन लाख रुपयों मे बहालत मौजूदा उक्त आराजी कृषि भूमि को विक्रय कर दिया यानि क्रेती उपरोक्त के पक्ष में विक्रीत सम्पत्ति को अपने सम्पूर्ण अधिकार व सुखाधिकार सहित विक्रय कर दिया यानि बेच डाला और कुल विक्रय मूल्य इस लेखपत्र के अन्त मे वर्णित विधि से विक्रेतागण ने क्रेती उपरोक्त से प्राप्त कर लिया तथा विक्रीत सम्पत्ति उपरोक्त क्रेती के हक मे हस्तान्तरित कर दिया तथा विक्रीत सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा व दखल अपनी ही भाँति क्रेती को करा दिया। अब विक्रेतागण का कोई सम्बन्ध मालिकाना हक कब्जा व दखल किसी किस्म

गनेश प्रसाद

अनुराधा मेहरोत्रा

निशानी अंगूठा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

14 JUN 2013

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AE 995510

का विक्रीत सम्पत्ति पर नहीं रह गया है। क्रेती को यह अधिकार होगा कि वह विक्रीत सम्पत्ति को जिस तरह से चाहे उपयोग करे, और अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें निर्माण करे, रहन, बय, हिबा, वसीयत या जमानत व न्यास आदि करे, उसके किसी कृत्य में विक्रेतागण को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है और न कभी भविष्य में होगा। क्रेती को यह अधिकार है कि वह इस लेखपत्र के आधार पर अपना नाम बतौर मालिक, काबिज के कागजात सरकारी प्रलेखों में या जहां कहीं भी आवश्यकता हो, विक्रेतागण के नाम के स्थान पर बहैसियत मालिक व स्वामी विक्रीत सम्पत्ति पर दर्ज करा लेवे। विक्रेतागण की रजामन्दी व सहमति इस लेखपत्र से ही समझी जावेगी तथा यदि इस कार्य में जहां कहीं भी विक्रेतागण की सहायता की आवश्यकता होगी, विक्रेतागण लिखित व मौखिक व शपथपत्र आदि देकर क्रेती की मदद करने को बाध्य रहेगे।

यह भी विदित हो कि विक्रेतागण ने क्रेती को विश्वास दिलाया है कि विक्रीत सम्पत्ति, जिसका विस्तृत विवरण एवं चतुर्दिक सीमायें इस विक्रयपत्र के अन्त मे वर्णित हैं, हर प्रकार के भार से पूरी तरह पाक व साफ है तथा हर प्रकार के विवाद से मुक्त है। विक्रीत सम्पत्ति कहीं पर गिरवी, विक्रय, दान, न्यास या वसीयत या जमानत आदि

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

कोषागार कानपुर नगर (20) 4 JUN 2013

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH T 961265

नहीं है। विक्रीत सम्पत्ति पर विक्रेतागण ने किसी सरकारी या अर्ध–सरकारी या स्वायत्तशाषी वित्तीय या बैंकिंग संस्थान या निजी संस्थान से कोई ऋण आदि नहीं लिया है और विक्रीत सम्पत्ति की जमानत पर किसी को कोई ऋण आदि दिलाया भी नहीं है। उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी ऋण आदि की वसूली सम्बन्धी कोई कार्यवाही कहीं पर विचाराधीन नहीं है। उक्त विक्रीत सम्पत्ति के मालिकाना हक के संबध में कोई वाद या कार्यवाही किसी भी न्यायालय अथवा कार्यालय में विचाराधीन नहीं है और वह किसी डिक्री की इल्लत में न तो कुर्क और न नीलाम है और न ही उक्त विक्रीत सम्पत्ति मे किसी भी प्रकार की आयकर व व्यापार कर की कोई इल्लत है। विक्रेतागण की विक्रीत सम्पत्ति उपरोक्त किसी अर्ध–सरकारी या गैर सरकारी स्कीम में अर्जित नहीं की गयी है और न ही उसके अर्जन के सम्बन्ध मे विक्रेतागण को आज दिन तक किसी भी विभाग से कोई नोटिस ही प्राप्त हुई है। विक्रेतागण को किसी न्यायालय आदि के किसी आदेश के द्वारा उक्त विक्रीत सम्पत्ति को हस्तान्तरित आदि करने से रोका या मना भी नहीं किया गया है। विक्रेतागण ने विक्रीत सम्पत्ति के संबध में न तो किसी से कोई बयाना आदि ही लिया है और न किसी प्रकार का कोई इकरारबय एवं मुख्तारनामा आम आदि भी अन्य किसी के पक्ष मे निष्पादित किया है। इस प्रकार

गनेश प्रसाद

अनुराधा मेहरोत्रा

3642

28/6/13 9500

विक्रय पत्र

300,000.00 /	404,000.00	8,080.00	50	8,130.00	2,500
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री गणेश प्रसाद

पुत्र श्री स्व0मन्नी लाल

व्यवसाय व्यापार

निवासी स्थायी दुर्गापुरवा ख्यौरा कटरी कानपुर

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 28/6/2013 समय 4:25PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वन्दना सिंह
उप निबन्धक (जोन-2)
कानपुर नगर।
28/6/2013

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री गणेश प्रसाद
पुत्र श्री स्व0मन्नी लाल
पेशा व्यापार
निवासी दुर्गापुरवा ख्यौरा कटरी कानपुर

क्रेता

श्रीमती अनुराधा मेहरोत्रा
पत्नी श्री सुधीर कुमांर मेहरोत्रा एडवोकेट
पेशा गृहिणी
निवासी 15/265बी सिविल लाइन्स कानपुर

श्री सुन्दर
पुत्र श्री स्व0छेदालाल
पेशा व्यापार
निवासी धनरूपुरवा बैरी अकबरपुर कछार कानपुर

विक्रेतागण को कुल अधिकार हस्तानान्तरण बाबत उपरोक्त विक्रीत सम्पत्ति प्राप्त है। उक्त विक्रयपत्र के निष्पादन के पूर्व इस संबध कोई धनराशि यदि पायी जाती है, तो उसको अदा करने की जिम्मेदारी विक्रेतागण की होगी। यदि कोई बात इस लेखपत्र के विपरीत पायी जावे या किसी अन्य व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा किसी भी किस्म का विक्रीत सम्पत्ति पर पाया जावे या कोई रकम विक्रेतागण द्वारा विक्रय की हुई सम्पत्ति पर बकाया निकले या विक्रीत सम्पत्ति पर कोई भार आदि पाया जावे या विक्रेतागण की मिल्कियत में कमी के कारण या विक्रेतागण के किसी कार्य या अकार्य से विक्रीत सम्पत्ति क्रेती उपरोक्त के कब्जा व दखल मालिकाना से निकल जावे या क्रेती को विक्रीत सम्पत्ति के मालिकाना अधिकारों की रक्षा के लिये कोई रकम अदा करनी पड़े, या इस लेखपत्र के किसी कथन के असत्य या विपरीत होने के कारण क्रेती को किसी भी प्रकार की कोई क्षति पहुँचे या विक्रीत सम्पत्ति के बावत विक्रय तिथि के पश्चात विक्रेतागण के पक्ष की किसी देयता की कोई राशि इस संबध में क्रेती को अदा करनी पड़े तो विक्रेतागण, क्रेती के प्रत्येक क्षतिपूर्ति को अदा करने के उत्तरदायी रहेगा, एवं क्रेती को यह पूर्णतया अधिकार होगा कि वह पूर्ण अथवा अंश विक्रय धन, हर्जा, खर्चा व ब्याज सहित विक्रेतागण से व्यक्तिगत रूप से या विक्रेतागण की अन्य चल व अचल सम्पत्ति व उनके वारिसान से जैसे भी चाहें वसूल कर लेवें। इसमें विक्रेतागण व उनके वारिसान को कोई आपत्ति करने का कतई कोई अधिकार नहीं होगा तथा उनके द्वारा इस सम्बन्ध में की गई समस्त आपत्तियां अमान्य होंगी। यदि उपरोक्त आश्वासनों में कुछ भी गलत या झूंठ पाया जाता है, तो उस सबकी कुल जिम्मेदारी विक्रेतागण की होगी इस लेखपत्र की पाबन्दी विक्रेतागण व विक्रेतागण के उत्तराधिकारीगण पर लागू होगी तथा क्रेती के उत्तराधिकारीगण स्थानापन्नो व हस्तान्तरण द्वारा प्राप्तकर्ताओ को वे सभी अधिकार प्राप्त होगे, जो क्रेती को इस विक्रयपत्र के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। उक्त विक्रीत कृषि भूमि क्रेती की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 221 एवं 224 से मिली हुई है एवं क्रेती उक्त आराजी कृषि खसरा नम्बर 222 व 223 की भी सहमालिक व स्वामिनी है, जिसकी रजिस्ट्री दिनाक 16/9/2011 को दस्तावेज नुम्बर 4482 में दर्ज है इस कारण क्रेती उक्त आराजी भूमि का बकाया हिस्सा भी क्रय कर रही है।

विक्रेता

Registration No.: 3844 Year : 2,013 Book No. : 1

0101 **गणेश प्रसाद**

स्व0मत्री लाल

दुर्गापुरवा ख्यौरा कटरी कानपुर

व्यापार

0102 **सुन्दर**

स्व0छेदालाल

धनऊपुरवा बैरी अकबरपुर कछार कानपुर

व्यापार

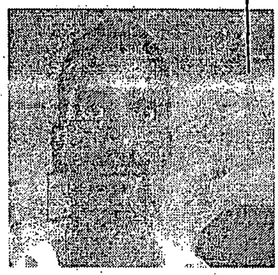

अतः विक्रेतागण एवं क्रेती ने अपने स्वस्थ्य मन, बुद्धि व चित्त की दशा में, बिना किसी जोर व दबाव नाजायज के, अपने शुभ चिन्तकों व पारिवारिक सदस्यों व इष्ट मित्रों व कानूनी सलाहकारों से सलाह मशविरा करने के उपरान्त, समक्ष साक्षीगण यह विक्रयपत्र निष्पादित कर दिया, ताकि प्रमाण स्वरूप समय पर काम आवे ।

–: धनराशि वसूलयाबी विवरण :–

मबुलिग 3,00,000/–रूपया नकद रुबरु सब रजिस्ट्रार महोदय कानपुर नगर के समक्ष प्राप्त कर लिया।

मुबलिग 3,00,000/– रुपया विक्रेतागण ने क्रेती से प्राप्त कर लिया है। रुपया प्राप्त होने की रसीद यह विक्रयपत्र ही समझा जावेगा। अब विक्रयमूल्य के सम्बन्ध मे विक्रेतागण को क्रेती से कुछ भी पाना बाकी नहीं रह गया है।

गवाह :– **विक्रेतागण**

1– रमेश चन्द
(रमेश चन्द S/o श्री बाबूराम)
... कानपुर नगर

गनेश प्रसाद

2– विष्णु शंकर वाजपेई
S/o श्री ... वाजपेई
... कानपुर नगर

क्रेती

अनुराधा मेहरोत्रा

मेरे निजी निर्देशन मे टाइप किया गया ।
अनुराग कपूर एडवोकेट,

क्रेता

Registration No.: 3844 Year : 2,013 Book No. : 1

0201, अनुराधा मेहरोत्रा
सुधीर कुमार मेहरोत्रा एडवोकेट
15/265बी सिविल लाइन्स कानपुर
गृहिणी

॥ॐ॥

श्री गणेशाय नमः

नक्शा आराजी खसरा नम्बर 223 क्षेत्रफल 0.090 हेक्टेयर में से 2/7 अपना कुल हिस्सा क्षेत्रफल 0.0258 हेक्टेयर स्थित ग्राम सम्भरपुर तहसील व जिला कानपुर नगर

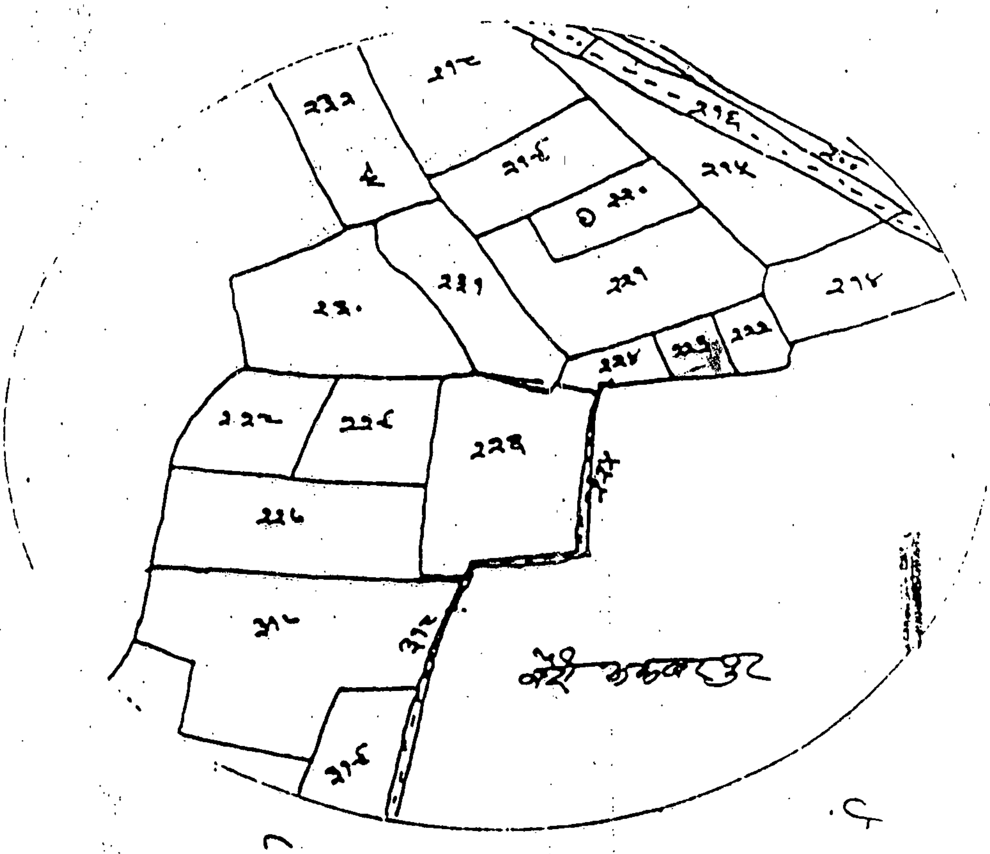

गनेश प्रसाद

आज दिनांक 28/06/2013 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 6086

पृष्ठ 99 से 122 पर क्रमांक 3844

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वन्दना सिंह
उप निबन्धक (जोन-2)
कानपुर नगर ।
28/6/2013

TITLE DOC (6)